उच्च न्यायालय, लखनऊ
नीलामी सूचना

विषय :– वाहन की नीलामी

तिथि :– 01–11–2025

समय :– अपरान्ह 01:00 बजे

स्थान :– मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के निम्नलिखित **05** वाहनों की नीलामी की जानी है–

1. **UP 70 AG 1091 (हॉन्डा सिटी)**
2. **UP 70 AG 1096 (हॉन्डा सिटी)**
3. **UP 70 AG 1344 (हॉन्डा सिटी)**
4. **UP 70 AG 4047 (इन्नोवा क्रिस्टा)**
5. **UP 32 BG 6476 (कोरोला अल्टिस)**

उपरोक्त वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोली बोलने वाले को दिनांक **01/11/2025** को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे के बीच लखनऊ खंडपीठ में काउंटर नंबर 01 (कैश काउंटर) पर **रुपये 50,000/–(रुपये पचास हजार मात्र) नगद प्रति वाहन** जमा करना होगा तथा उपरोक्त वाहनों की नीलामी अपरान्ह 01:00 बजे मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की नियम एवं शर्तें न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10:00 बजे से 03:00 बजे तक देखी जा सकती है तथा न्यायालय के दूरभाष संख्या 2722500, एक्स्टेन्शन संख्या 22992 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त नोटिस मा० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

वरिष्ठ निबंधक

<u>**उच्च न्यायालय, लखनऊ**</u>

संख्या :– 05 वाहन

विषय :– वाहनों की नीलामी

तिथि :– 01–11–2025, समय: अपरान्ह 01:00 बजे

स्थान :– मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर

विवरण कार :–

1. **UP 70 AG 1091 (हॉन्डा सिटी)**
2. **UP 70 AG 1096 (हॉन्डा सिटी)**
3. **UP 70 AG 1344 (हॉन्डा सिटी)**
4. **UP 70 AG 4047 (इन्नोवा क्रिस्टा)**
5. **UP 32 BG 6476 (कोरोला अल्टिस)**

<u>**नीलामी के नियम एवं शर्तें**</u>

1. वाहन 'जहाँ है जैसा है' की स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
2. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलाम होने वाले वाहनों का नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात 31–10–2025 को अपरान्ह 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर, गैराज के पास अवलोकन किया जा सकता है।
3. बोलीदाता का जी० एस० टी० में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड धारक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जी० एस० टी० में अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्परारी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
4. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व **प्रति वाहन रुपये 50,000/–(रुपये पचास हजार मात्र)** नगद लखनऊ खंडपीठ में काउंटर नंबर 01 (कैश काउंटर) पर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना होगा तथा जी० एस० टी० में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उनकी उक्त धनराशि काउंटर नंबर 01 (कैश काउंटर) से तुरंत वापस कर दी जाएगी।
5. नीलामी की कार्यवाही हेतु बोली बोलने के लिए केवल उक्त धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत केवल एक प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा।
6. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।
7. नीलामी अपरान्ह 01:00 बजे प्रारम्भ होगी ।
8. जिस बोलीदाता की अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 50 प्रतिशत धनराशि में 50,000/– रूपए अग्रिम धनराशि को समायोजित करते हुए तुरंत नगद जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि नीलामी से एक सप्ताह के अंदर नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित धनराशि उपरोक्त के अनुरूप जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी बोली निरस्त समझी जाएगी एवं जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
9. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप से स्वीकृत माना जायेगा।

10. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को नीलाम वाहन ले जाने की अनुमति मिलने के एक सप्ताह के अंदर वाहन को नीलामी स्थल से हटाना होगा ।

11. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह नीलाम वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के बाद ही चलाने में प्रयोग करेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट/स्क्रैप करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बंधित संभागीय परिवहन अधिकारी को देगा।

12. उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

13. नियमानुसार जी० एस० टी० सहित अन्य कर आदि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा देय होगा।

14. वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।

15. नीलाम किये गए वाहन की उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी जब तक कि वह बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर० टी० ओ० ऑफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स, इंश्योरेंस एवं जी० एस० टी० जमा करके नीलाम वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।

16. नीलामी प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया जायेगा। उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में होने वाली नीलामी से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

17. नीलामी की शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो वरिष्ठ निबंधक,मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

18. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद लखनऊ में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जाएगी।

वरिष्ठ निबंधक